

नस्ति सख्या: 1-10/2021-हि० प्र० वि० वि०/शा० शि०-
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रतायन परिषद "ए" ग्रेड विश्वविद्यालय
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5
शारीरिक शिक्षा विभाग

दिनांक 26.06.2025

सूचना

पत्र संख्या No. 1-10/2021-हि० प्र० वि० वि०/शा० शि०- के क्रमानुसार शारीरिक शिक्षा विभाग के सभी Ph.D. शोधार्थियों को सूचित किया जाता है कि आप अपने निर्देशक के पास नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करवाएं और अपने शोध कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करें, Ph.D. शोधार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार छः महीने w.e.f. 01-07-2024 से 31-12-2024 तक की Progress Report बना कर अपने निर्देशक से सत्यापित करने के उपरांत विभाग के कार्यालय में दिनांक 30-06-2025 तक जमा करवाना अत्यंत आवश्यक है जिसके अनुसार शोधार्थी की Pre RDC Presentation/Evaluation होगी उसके अनुसार ही शोधार्थी का शोध कार्य विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार नियमित रूप से चल सकेगा, छः महीने की Progress Report का format पत्र के साथ सलग्न है।

इसी प्रकार Rajiv Gandhi National Fellowship(R.G.N.F.), Maulana Azad National Fellowship (M.A.N.F.) तथा Junior Research Fellowship (J.R.F.) के Ph.D. शोधार्थियों को इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि शारीरिक शिक्षा विभाग में नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और Attendance Register पर अपनी हाजिरी दर्ज करवाएं ताकि छात्रवृत्ति के लिए विभाग द्वारा शोधार्थी के छात्रवृत्ति के फॉर्म निर्देशक द्वारा प्रमाणित करके तथा Attendance Register के अनुसार दी जाएगी जो छात्रवृत्ति के लिए जरूरी है, साथ ही आपको सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति लेने के लिए जरूरी फॉर्म को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार निर्धारित समय पर शारीरिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में जमा करें।

महत्वपूर्ण एवं जरूरी सूचना


विभागध्यक्ष 26/6/2025
जुनीर रिसर्च फेलोशिप
विभाग शारीरिक शिक्षा
विश्वविद्यालय, शिमला-5
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

विद्यावाचस्पति के निर्देशकों को सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई के लिए:-

1. विभाग के सभी विद्यावाचस्पति निर्देशकों को सूचित किया जाता है कि जो शोधार्थी उनके निर्देशन में शोध कर रहे हैं, जिनका Ph.D. विस्तार लिया जा चुका है उन्हीं की छः महीने की Progress report विभाग में जमा करवाएं बाकि जिन शोधार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार Ph.D. करने की अधिकतम समय सीमा खत्म हो गयी है, उनका Ph.D. विस्तार हेतु Competent Authority से विस्तार हेतु अनुमोदन लिया जाए, यदि कोई शोधार्थी अपनी Ph.D. को आगे जारी नहीं रखना चाहता है तो आगामी Standing Committee में उसका पंजीकरण रद्द करने हेतु जरूरी दस्तावेज निर्देशक के द्वारा तैयार किये जाए तथा विभाग में समयानुसार जमा करें ताकि Standing Committee निर्णय लेने में सक्षम हो सके।